CORPORATE OFFICE

Delhi Office

706 Ground Floor Dr. Mukherjee Nagar Near Batra Cinema Delhi -110009

Noida Office

Basement C-32 Noida Sector-2 Uttar Pradesh 201301





website: www.yojnaias.com Contact No.: +91 8595390705

Date: 5 अप्रैल 2023

स्वामित्व(SVAMITVA) योजना

हाल ही में केंद्रीय पर्यटन, संस्कृति और पूर्वोत्तर **क्षे**त्र के विकास मंत्री जी किशन रेड्डी ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री से स्वामित्व योजना लागू करने का आग्रह किया। जिससे लोगों को उनके घर व सम्पत्ति के विवरण प्राप्त हो सके। 24 अप्रैल 2021 को स्वामित्व योजना के 9 राज्यों के पायलट चरण (2020-2021) के सफल समापन के बाद राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर देश के प्रधानमंत्री द्वारा पंचायती राज मंत्रालय की एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना का राष्ट्रव्यापी शुभारंभ किया गया।

स्वामित्व योजना की आवश्यकता

- भारत में ग्रामीण भूमि का बंदोबस्त व सर्वेक्षण लगभग 70 साल पहले हुआ था। इसके बाद कई क्षेत्रों का मानचित्रण नहीं किया गया।
- कानूनी दस्तावेज कें अभाव में, ग्रामीण क्षेत्र वासी, अपनी भू सम्पत्ति का बैंकों में आर्थिक लाभ उठाने में **सक्ष**म नहीं हैं।
- यह योजना ग्राम स्वराज प्राप्त करने की दिशा में एक कदम है।

स्वामित्व योजना ग्रामीण बसे हुए (आबादी) क्षेत्रों में संपत्ति के स्पष्ट स्वामित्व की स्थापना की दिशा में एक सुधारात्मक कदम है, जिसमें ड़ोन तकनीक का उपयोग करके भूमि का **मानचि**त्रण किया जाता है औ<mark>र सं</mark>पत्ति के मालिकों के लिए कानूनी स्वामित्व कार्ड (संपत्ति कार्ड / शीर्षक) जारी करने के साथ गांव के **परिवारों** के मालिकों को अधिकारों का रिकॉर्ड प्रदान किया जाता है। यह योजना पंचायती राज मंत्रालय, राज्य राजस्व विभाग, राज्य पंचायती राज विभाग और भारतीय सर्वेक्षण विभाग के सहयोगात्मक प्रयासों से कार्यान्वित की जाती है। इस योजना में विविध पहलुओं को शामिल किया गया है-

- संपत्तियों के मुद्रीकरण को सुगम बनाना और बैंक ऋण को सक्षम बनाना;
- संपत्ति संबंधी विवादों को कम करना:
- व्यापक ग्रामीण स्तर की योजना.
- सही अर्थों में आत्मनिर्भर ग्राम स्वराज प्राप्त करने और आत्मनिर्भर ग्रामीण भारत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा ।

योजना के उद्देश्य- योजना निम्नलिखित उद्देश्यों को प्राप्त करना

- ग्रामीण नियोजन के लिए सटीक भूमि अभिलेखों का निर्माण अर संपत्ति संबंधी विवादों को कम करना।
- ग्रामीण भारत में नागरिकों को ऋण लेने और अन्य वित्तीय लाभों के लिए वित्तीय संपत्ति के रूप में अपनी संपत्ति का उपयोग करने में सक्षम बनाकर वित्तीय स्थिरता लाने के लिए।
- संपत्ति कर का निर्धारण, जो उन राज्यों में सीधे जीपी को प्राप्त होगा जहां इसे हस्तांतरित किया गया है या अन्यथा, राज्य के खजाने में जोडा जाएगा।
- सर्वेक्षण अवसंरचना और जीआईएस मानचित्रों का निर्माण, जिनका उपयोग किसी भी विभाग द्वारा किया जा सकता है।
- जीआईएस मानचित्रों का उपयोग करके बेहतर गुणवत्ता वाली ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) तैयार करने में सहायता करना।

इसके द्वारा प्रभावी चार क्षेत्रों की पहचान की गई है-

समावेशी समाज- गांवों में कमजोर आबादी के सामाजिक आर्थिक मानकों में सधार किया जा सकता है।



भूमि शासन- दुनिया में भौतिक संपत्ति के निर्माण के उद्देश्य से किसी भी आर्थिक गतिविधि के लिए भूमि एक आवश्यक संसाधन है। स्पष्ट रूप से सीमांकित आबादी क्षेत्र के अभाव में भू स्वामित्व संघर्ष के मामलों की संख्या में वृद्धि हुई है। रिपोर्टों के अनुसार, लाखों लोग भारत और दुनिया भर में भूमि संघर्षों के प्रभाव से पीड़ित हैं। SVAMITVA योजना का उद्देश्य स्थानीय स्तर पर विवादों के मूल कारण को संबोधित करना है।

स्था<mark>यी आवास-</mark> ग्राम पंचायत योजनाओं के लिए उच्च रिजॉल्यूशन वाले मानचित्रों का निर्माण जिससे गांवों में बुनियादी ढांचों के निर्माण हेत उचित बजट प्रदान किया जाए।

अर्थिक विकास – मुख्य परिणाम लोगों को **संपार्श्विक** के रूप में अपनी संपत्ति का मुद्रीकरण करना। इसके अलावा सम्पत्ति कर सुव्यवस्थित करके भारत के आर्थिक विकास को बढावा देना।

योजना की चुनौतियाँ

- जागरुकता की कमी- योजना के कार्यान्वयन के लिए ग्रामीणों में जागरुकता की कमी है, जिससे वे इसका लाभ प्राप्त करने में असमर्थ हो सकते हैं।
- प्रौद्योगिकी से संबंधित मुद्दे- इस योजना के कार्यान्वयन के लिए प्रौद्योगिकी के आधुनिक उपकरणों का प्रयोग किया जाना है जिसका तकनीकि ज्ञान अब तक सामान्य नहीं हुआ है। इसके साथ तकनीकी गुणवत्ता भी इसका एक प्रमुख घटक है।
- आंकड़ों की कमी- भारत के कई क्षेत्रों में भू संबंधी आलेखों की कमी है जिससे भूमि के आंकलन व रखरखाव करना आसान नहीं होगा। और भू स्वमित्व के विवाद बढ़ सकते हैं।
- धन व संसाधनों की कमी- इस योजना के तहत उत्कृष्ट प्रौद्योगिकी का प्रयोग एक प्रमुख घटक है, जिसके लिए पर्याप्त धन की आवश्यकता होगी। धन की कमी, इस योजना के कार्यान्वयन में एक बाधा बन सकती है।

आगे की राह-

- राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए सम्पत्ति कार्डों को कानूनी वैधता प्राप्त नहीं है, अतः उन्हें कानूनी वैधता उपलब्ध कराई जा सकती है।
- भू स्वामित्व से जुड़े विवादों का त्विरत निपटान करने हेतु शिकायत निवार तंत्र की स्थापना की जा सकती है।
- राज्य में योजना के कार्यान्वयन से पूर्व योजना के विषय में लाभार्थियों को अवगत कराना अर्थात जागरुकता लाना
- योजना में प्रयुक्त प्रौद्योगिकी जैसे ड्रोंन का पूर्व प्रशिक्षण उपलब्ध कराना ताकि आंकड़ों में कोई त्रुटि न हो।

स्रोत SVAMITVA THE HINDU

Gunjan Joshi

नाथूला हिमस्खलन

स्रोत – हाल ही में सिक्किम के नाथू ला में **हिमस्ख**लन एक आपदा का कारण बन गया है जिसमें 7 लोगों की जान चली गई। जिसमें आपदा प्रबंधन दल व पुलिस खोज दल ने 27 **पर्यट**कों को बचा लिया है।

हिमस्खलन- ढलान वाले क्षेत्र से हिम या बर्फ के नीचे की कोर प्रवाहित होने या खिसकने की स्थिति को **हिमस्खल**न कहा जाता है। हिमस्खलन, हिमालयी क्षेत्रों में होता है, जिसके कारण यदि जनधन की हानि हो जाती है तो यह एक भयानक आपदा का रूप ले लेती है। जैसे प्रथम विश्व युद्ध में, दिसंबर 1916 में **ऑस्ट्रियाई**-इतालवी मोर्चे पर आल्प्स में लड़ाई के दौरान, एक ही दिन में 10,000 से अधिक सैनिक हिमस्खलन से मारे गए थे, जो तोपखाने द्वारा अस्थिर बर्फ की ढलानों पर दागे गए थे।

नाथूला -

.com

- 🔹 ें नाथुला हिमालयी क्षेत्र का एक पहाड़ी दर्रा(पहाड़ी मार्ग) है।
- यह सिक्किम को तिब्बत के चुम्बी घाटी से जोड़ता है।
- यह दर्रा प्राचीन रेशम मार्ग का एक अंश था।
- 1962 में भारत व चीन के मध्य हुए युद्ध के बाद इस दर्रे को बंद कर दिया
 गया था।
- नाथुला दर्रा चीन व भारत के बीच खुले व्यापार समझौते के तहत स्थापित
 एक चौकी है, इसके अतिरिक्त उत्तराखण्ड का लिपुलेख दर्रा व हिमांचल
 प्रदेश का शिपकी ला दर्रा भी इस समझौते में शामिल किया गया था।

भारत में हिमस्खलन संवेदनशील क्षेत्र- भारत में हिमस्खलन की घटनाएँ हिमालय की श्रृंखलाओं में सर्दियों और अतिवृष्टि के समय होती हैं। भारतीय हिमालयी क्षेत्र 12 भारतीय राज्यों (अर्थात् जम्मू और कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मिणपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, असम के दो जिलों अर्थात् दीमा हसाओ और कार्बी एंगलोंग तथा पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग और कालिम्पोंग) में 2500 किमी की लंबाई और 250 से 300 किमी की चौड़ाई में फैला हुआ है। अकेले भारतीय हिमालयी क्षेत्र (आईएचआर) में लगभग 50 मिलियन लोग निवास करते हैं। कुछ घटनाएं जिसमें मानव संसाधनों को अधिक हानि पहुँचती है, इसे व्हाइट डेथ कहा जाता है। हिमस्खलन की दृष्टि से अति संवेदनशील क्षेत्र-

- जम्मू कश्मीर में कुलगाम, पहलगाम, अनंतनांग और शोपिया, त्राल के पर्वतीय क्षेत्र हिमस्खलन की दृष्टि से अति संवेदनशील माने जाते हैं। इसके साथ ही गुलमर्ग, यसमर्ग,जोजिला,बाल्टाल,राजदान पास और उत्तरी कश्मीर में LOC से जुड़े क्षेत्रों में प्रतिवर्ष हिमस्खलन के कारण जनधन की हानि हो जाती है।
- **हिमांचल प्रदेश** में चम्बा, कुल्लू व किन्नौर घाटी के उच्च पर्वतीय क्षेत्र हिमस्खलन की दृष्टि से अति संवेदनशील माने जाते हैं।
- उत्तराखण्ड के उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग व चमोली जिलों के पर्वतीय क्षेत्र हिमस्खलन की घटनाओं के प्रमुख केंद्र हैं।
- सिक्किम भूस्खलन संबंधी घटनाओं के लिए संवेदनशील है।



हिमस्खलन के कारण-

- अतिवृष्टि या अतिहिमपात के कारण हिमपैक पर अधिक भार पड़ता है, जिससे हिमस्खलन की घटना घटित होती है।
- पर्वतीय क्षेत्र में प्राकृतिक या **भूकंप** के कारण हिम स्लैब टूट सकते हैं। मशीनों व विस्फोटकों द्वारा उत्पन्न **गति व कंपन** भी हिमस्खलन के मानवजनित कारक हो सकते हैं।
- बर्फीले तूफान के कारण भी हिमस्खलन की घटना हो सकती है।
- तात्कालिक कारणों <mark>के अ</mark>तिरिक्<mark>त, जलवायु परिवर्तन</mark> भी भूस्खलन की घटनाओं में वृद्धि हुई है। जो मानव जनित कृत्यों का परिणाम है, 2011 से 2020 के मध्<mark>य</mark> वैश्विक तापमान में वृद्धि देखी गई है। जो हिमालयी बर्फ को पिघलने में मदद करता है।
- नम स्खलन- सर्दियों के अंत में जब दिन के तापमान में वृद्धि होती है, नम हिमस्खलन की घटनाओं में वृद्धि हो जाती है। नम हिमस्खलन लंबे समय तक ठोस हो जाने के कारण अधिक खतरनाक होते हैं।
- वनों की कटाई भी हिमस्खलन का कारण बनती है।

हिमस्खलन बचाव कार्य- भारत में आपदा प्रबंधन का कार्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण करती है। जिसके तहत-

- राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF
- राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल SDRF
- भारत तिब्बत सीमा पुलिस
- भारतीय सेना

चुनौतियाँ

- हिमस्खलन जैसी घटनाओं का पूर्वानुमान अब तक संभव नहीं हो पाया है, जिससे पहले से बचाव अभियान जारी करना संभव नहीं हो पाता।
- हिमस्खलन की घटनाएं हिमानी पर्वतों में होती हैं जो विकास की दृष्टि से दुर्गम होने होती हैं। जिससे आपदा प्रबंधन की गतिविधियाँ काफी कठिन रहती हैं।
- ये क्षेत्र पर्यटकों को बहुत आकर्षित करते हैं, **हिमस्खलन** जैसी आपदा के समय पर्यटक स्वयं को बचाने में असमर्थ महसूस करते हैं।
- मौसम जनित हिमस्खलन में पर्यटकों की आवाजाही आपदा को भयानक बना सकती है।

सरक्षात्मक उपाय

• हिमालयी क्षेत्र जो भूकंप, भूस्खलन व **हिमस्खल**न जैसी घटनाओं के लिए संवेदनशील है अतः इन घटनाओं से निपटने के लिए स्थानीय निवासियों व पर्यटकों को प्रशिक्षण दिया जा सकता है। जिससे वे सहायता आने तक स्वयं की सहायता करने में सक्षम हों।

- मौसम जनित हिमस्खलन(नम स्खलन) के समय पर्यटकों की आवाजाही पर रोक लगाई जा सकती है।
- हिमस्खलन शमन दीवार का निर्माण किया जा सकता है।
- हिमस्खलन की भविष्यवाणी संबंधी फोरकास्ट के लिए मौसम विज्ञान संस्थान को प्रोत्साहित किया जा सकता है, जिससे वे मौसम विज्ञान की सटीक भविष्यवाणी की तरह हिमस्खलन के पूर्वानुमान दे सकें। हिमस्खलन संभावित क्षेत्रों में विकास क्रियाओं हेतु मशीनों व विस्फोटकों के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है।

स्रोत द हिंदू Yojna IAS

Gunjan Joshi

